

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 464]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2016/आ 14, 1938

No. 464]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2016/ASADHA 14, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4, जुलाई, 2016

सा.का.नि. 669(अ).—केन्द्रीय सरकार, कॉफी अधिनियम 1942 (1942 का 7) की धारा 48 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) और धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉफी नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कॉफी (संशोधन) नियम 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

1. कॉफी नियम, 1955 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में,

(क) मूल नियमों के नियम (3) के, उपनियम (2) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:

“(ग) तीन सदस्य कॉफी व्यापार हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे, दो सदस्य संसाधन स्थापना का प्रतिनिधित्व करेंगे, तीन सदस्य कामगारों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे, दो सदस्य उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे, दो सदस्य नियम (3) के, उपनियम (2) में खण्ड (क) में निर्दिष्ट नामों के अलावा कॉफी उत्पादक राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे, एक सदस्य तुरंत उपलब्ध कॉफी के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करेगा, एक सदस्य किसी अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय का कोई प्रख्यात वैज्ञानिक होगा या विपणन प्रबंधन या कॉफी संवर्धन के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तित्व होगा, और एक सदस्य कॉफी बोर्ड का सचिव होगा।”

(ख) मूल नियमों के नियम 4 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा अर्थात् :

“(1) इस अधिनियम और इन नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कोई सदस्य अपने पद पर ऐसे समय तक बना रहेगा जो तीन वर्षों से अनधिक होगा या जब तक उसके स्थान पर किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है, जो भी पहले हो, और वह पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा;”;

(ग) मूल नियमों के नियम 5, नियम 6, नियम 7, और नियम 9 में “सचिव” शब्द, जहाँ जहाँ वह आता है, के स्थान पर, “उप – सचिव” शब्द रखा जाएगा।

(घ) मूल नियम के नियम 8 के, खण्ड (ड.) के बाद निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्

“(च) यदि जनहित में ऐसा करना आवश्यक हो”;

(ड) मूल नियमों के नियम 12, नियम 15, नियम 16, नियम 24(2), नियम 31 और नियम 35 में “अध्यक्ष” शब्द, जहाँ जहाँ वह आता है, के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा।

(च) मूल नियमों के नियम 14 में “उपाध्यक्ष” शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा।

(छ) मूल नियमों के नियम 18 के उप – नियम (1) के, खण्ड (क) से (ख) के, उप खण्ड (i) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उप – खण्ड रखा जाएगा ; अर्थात् :-

“(i) सचिव, कॉफी बोर्ड समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।”

(ज) मूल नियमों के नियम 31 के

(अ) उप – नियम (2क), (2ख) और (2ग) के स्थान पर निम्नलिखित उप – नियम रखा जाएगा, अर्थात् :

“(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड में सभी पद समय – समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार भरे जायेंगे।”;

(ख) उपनियम (4), (4क), (4ख), (4ग) और (4घ) के स्थान पर निम्नलिखित उप – नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :

“(4) बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, छुट्टी, भत्ते जिसके अंतर्गत यात्रा भत्ते और अग्रिम भी है, और अन्य सभी सेवा शर्तों को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय – समय पर लागू किए गए नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(4क) सचिव ऐसे सभी कर्मचारियों को छुट्टी एवं अग्रिम प्रदान करेंगे और यदि वह उचित समझें तो ऐसी शर्तों के अध्यधीन विभाग के अधिकारियों को भी इस शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेंगे।”

(झ) मूल नियमों के नियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्:

“(36) सचिव केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के उपबंधों के अध्यधीन समय-समय पर यथासंशोधित उनको सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी संविदा पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

परन्तु प्रत्येक संविदा जिसमें पचास लाख रुपये से अधिक का व्यय भी है, में केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी”;

(ज) मूल नियमों के नियम 39 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जायेंगे, अर्थात्:-

“(39) अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।”

(39 अ) (1) सचिव:-

(क) बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और उसका बोर्ड के सभी विभागों और अधिकारियों पर प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार एवं नियंत्रण होगा;

- (ख) कॉफी बोर्ड के कार्यालय के कामकाज के लिए अपेक्षित आकस्मिक व्यय, आपूर्ति और सेवाओं तथा वस्तुओं के क्रय के लिए व्यय को मंजूरी देगा;
- (ग) कॉफी बोर्ड की सभी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा;
- (घ) ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कॉफी बोर्ड के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हों;
- (ङ.) अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी धनों के लिए बोर्ड की ओर से रसीद जारी करेगा;
- (च) यथा साध्य शीघ्र बोर्ड के सामने सभी महत्वपूर्ण कागजातों और मामलों को प्रस्तुत करेगा;
- (छ) बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियां और उन बैठकों के निर्णयों का समुचित अभिलेख रखेगा;
- (ज) बोर्ड के निर्णयों का पालन करने की पद्धति पर निदेश जारी करेगा;
- (झ) बोर्ड के कामकाज पर प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट तारीख से अपश्चात की एक तारीख को बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात केन्द्रीय सरकार को इसके प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ञ) बोर्ड की सभी बैठकों में भाग लेगा और कॉफी बोर्ड के निर्णयों का कार्यान्वयन करने के लिए अध्यक्ष की सहायता करेगा;
- (ट) उसे स्वयं या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने या किसी पंजीकृत संपदा या अनुज्ञप्ति संसाधन स्थापन या कोई स्थान जहां कॉफी बिक्री के लिए रखी जाती है या छोड़ी जाती है, का निरीक्षण करने के उद्देश्य के लिए अभिकर्ता नियुक्त करने तथा ऐसी किसी संपदा या प्रतिष्ठान या कोई स्थान की बहियों की जांच करने का अधिकार है;
- (ठ) उसके पास विभिन्न रोस्टरों द्वारा विनिर्मित संरचना मिश्रणों की जांच करने और संरचना दर्शाते हुए उनको प्रमाण पत्र जारी करने और किसी रोस्टिंग प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने के लिए स्वयं निरीक्षण करने या अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्राधिकृत करने और ऐसे किसी प्रतिष्ठान के लेखा खातों तथा रिकार्डों की जांच करने और निरीक्षण हेतु मिश्रणों का नमूना एकत्रित करने का अधिकार होगा;
- (ड.) उसे भारत में भारतीय कॉफी के पुनः आयात हेतु अनुमति जारी करने का अधिकार होगा;
- (ढ) उसे संसाधन स्थापन को अनुज्ञप्ति जारी करने का अधिकार होगा;
- (ण) उसे किसी निर्णय पर, केन्द्रीय सरकार में लंबित संदर्भ में कार्रवाई आस्थगित रखने के लिए बोर्ड या किसी समिति से मांग करने का अधिकार होगा;
- (त) उसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या निर्देशों के अनुसरण में किसी के सरकारी कर्तव्यों के भाग के रूप में सहायनीय कार्य या विशेष कार्य मद हेतु मानदेय की मंजूरी देने का अधिकार होगा;
- (2) सचिव, बोर्ड के कार्यों को पूरा करने के उद्देश्यों से, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों में कार्य आवंटित कर सकेगा।
- (3) इसके अतिरिक्त, सचिव के पास ऐसी शक्तियां होगी जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा उसको प्रत्यायोजित की जाएं।

परन्तु, जहां किसी मामले को बोर्ड या समिति द्वारा निपटाया जाना है और निर्णय की प्रतीक्षा यथास्थिति बोर्ड या समुचित समिति, की बैठक होने तक नहीं की जा सकती या कागजातों का परिचालन पूरा होने तक नहीं की जा सकती, सचिव स्वयं निर्णय ले सकेगा और उस पर ऐसा निर्णय लेने के पश्चात, वह इस प्रकार लिए गए निर्णय को यथास्थिति बोर्ड या समिति के समक्ष, औपचारिक रूप से रखेगा "

[फा. सं. 09/2/2016-वागान ख]

विनय कुमार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 में का.नि.आ. 1662 तारीख 1, अगस्त, 1955 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और उनमें सा.का.नि. 694(अ.) तारीख 25, अक्टूबर, 1995 द्वारा अंतिम बार संशोधन किये गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2016

G.S.R. 669(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 48 read with sub-section (2) of section 4 and sub-section (1) of section 9 of the Coffee Act, 1942 (VII of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Rules, 1955 namely:—

- (1) These rules may be called the Coffee (Amendment) Rules, 2016 -
 - (2) They shall come into force on the date of their publication, in the Official Gazette.
- 1 In the Coffee Rules, 1955, (hereinafter referred as the principal rules), -
- (a) in rule 3 of the principal rules, for clause (c) in sub rule (2), the following clause shall be substituted, namely :-

“(c) three members shall represent the coffee trade interests, two members shall represent the curing establishment, three members shall represent the interests of labour, two members shall represent the interests of consumers, two members shall represent the interests of coffee growing States other than those mentioned in clause (a) of Sub rule 2 of Rule 3 one member shall represent the manufacturers of instant coffee, one shall be an eminent scientist from a Research Institute or an Agricultural University or an eminent personality in marketing management or promotion of coffee and one shall be the Secretary to the Coffee Board.”;
 - (b) in rule 4 of the principal rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Subject to the other provisions of the Act and these rules, a member shall hold office for such period not exceeding three years or until a new person is appointed in his place whichever is earlier and shall also be eligible for re-appointment.”;
 - (c) in rules 5, 6, 7 and 9 of the principal rules, for the word “Secretary” wherever it occurs, the words “Deputy Secretary” shall be substituted;
 - (d) in rule 8 of the principal rules, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely :-

(f) if it is necessary in the public interest to do so.”;
 - (e) in rules 12, 15, 16, 24(2), 31 and 35 of the principal rules, for the word “Chairman” wherever it occurs, the word “Secretary” shall be substituted;
 - (f) in rule 14, of the principal rules, for the words “Vice-Chairman” the words “Secretary” shall be substituted;
 - (g) in rule 18 of the principal rules, in sub-rule (1), in clauses (a) to (f), for sub-clauses (i), the following sub-clause shall respectively be substituted, namely:-

“(i) The Secretary, Coffee Board shall be the *ex-officio* Chairman of the Committee”;
 - (h) In rule 31 of the principal rules,
 - (A) for sub-rules, (2a), (2b) and (2c), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) All posts in the Board shall be filled in accordance with the rules made by the Central Government from time to time.”;
 - (B) for sub-rules (4), (4A), (4B), (4C) and (4D), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) The pay, leave, allowances including travelling allowances, advances and all other conditions of service of the officers and employees appointed by the Board shall be regulated in accordance with the rules applicable to the Central Government officers and employees from time to time.

(4A) The Secretary may grant leave and advances to all such employees and may also delegate this power to the officers of the department subject to such conditions as he thinks fit.

(i) for rule 36 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:-

“(36) The Secretary may enter in to contracts for the discharge of the duties entrusted to him subject to the provisions of the General Financial Rules of the Central Government as amended from time to time:

Provided that every contract which involves expenditure in excess of fifty lakh rupees shall require the previous sanction of the Central Government.”;

(j) for rule 39 of the principal rules, following rules shall be substituted, namely:-

“(39) The Chairman shall preside over the meetings of the Board.

(39A) (1) The Secretary shall-

- (a) be the chief executive officer of the Board and shall have administrative and financial power and control over all departments and officers of the Board;
- (b) sanction expenditure for contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the working of the office of the Coffee Board;
- (c) be responsible for implementation of all Schemes of the Coffee Board;
- (d) exercise such administrative and financial powers as may be necessary for the smooth functioning of the Coffee Board;
- (e) issue receipts on behalf of the Board for all moneys received under the Act;
- (f) cause all important papers and matters to be presented to the Board as early as practicable;
- (g) maintain a proper record of the proceedings of the meetings of the Board and decisions of those meetings;
- (h) issue direction as to the method of carrying out the decisions of the Board;
- (i) be responsible for preparation of draft annual report on the working of the Board and its submission to Central Government after approval by the Board on a date not later than the date specified in this behalf by the Central Government;
- (j) attend all the meetings of the Board and assist Chairman in implementing the decisions of the Coffee Board;
- (k) have power to inspect by himself or by any officer of the Board authorized by him in his behalf or appoint agents for the purpose of inspecting any registered estate or licensed curing establishment or any place where coffee is stored or exposed for sale and to examine the books of any such estate or establishment or place;
- (l) have power to check the composition blends manufactured by different roasters and to issue certificates to them indicating the composition and to inspect himself or to authorize his subordinate officers to inspect any roasting establishment and to examine accounts and records of any such establishment and to collect samples of blends for inspection;
- (m) have power to issue a permit for the re-importation of Indian coffee to India;
- (n) have power to issue licenses to curing establishment;
- (o) have power to require the Board or any committee to defer taking action, pending a reference to the Central Government, on any decision and;

- (p) have power to sanction honorarium for meritorious work or special item of work forming a part of one's official duties in accordance with the rules or instructions made by the Central Government in this behalf.
- (2) The Secretary may, for the purpose of carrying out the functions of the Board, assign duties to the officers and employees of the Board.
- (3) In addition, the Secretary shall have such powers as may be delegated to him by the Central Government or the Board or Chairman in accordance with provisions of the Act:

Provided that where a matter has to be disposed of by the Board or a Committee and the decision cannot wait till a meeting of the Board, or the appropriate committee, as the case may be, is held or till completion of circulation of papers, the Secretary may take a decision himself and after taking decision thereon, he shall formally place the decision so taken before the Board or the Committee, as the case may be".

[F. No. 09/2/2016-Plant B]

BINOY KUMAR, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published vide number S.R.O. 1662 dated 01.08.1955 in the Gazette of India, Part II section 3 and was last amended vide number G.S.R. 694(E) dated 25.10.1995.

IndiaCode